

## INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

Cartificate No.

Comficate Insued Date

Account Reference.

Unique Dac: Historonce

Punchasold by

Description of Document

Property Onscription

Consideration Price (Re.)

First Party

Second Pany

Stamp Duty Pant By

Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP29449546308436W Farm No. 1376E Vint Salay 1 Daniel Luckey NEWIMPACC (5V)/ UD14237804/ LUCKNOW SADAR/ UP LKN

ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR

SURIN UPLEP1423763455080185564411W

RUJESH KUMAR

Article 5 Agreement or Marriagnan of an agreement

Not Applicable

: DHRUV KUMAR SETH

RAJESH KUMAR

RAJESH KUMAR

(One Hundred only):





SIGNATURE ATTESTED

NOTARZ2 |04 24 Concellering C Read No 11/14/2000

## किराया अनुबन्ध पत्र

धुव कुमार सेठ निवासी आर-10, सिद्धार्थ लैन, संजय गाँधी पुरम, (इन्दिरा नगर), लखनऊ, उ०प्र0-226016 --प्रथम पक्ष/भवन स्वामी

एवम

राजेश कुमार पुत्र श्री हर गोविन्द मिश्रा निवासी ग्राम बरईयां कला, पोस्ट मसेचा, जिला सिद्धार्थनगर, उ०प्र०। --द्वितीयपक्ष/किरायेदार

हम उभय पक्ष बिना किसी जोर दबाव व लालच के स्वस्थ मस्तिष्क से आपस में किराया सम्बन्धी अनुबन्ध करते हुए निम्नलिखित शर्तों से पाबन्द होते हैं :-

- यह कि प्रथम पक्ष मकान नम्बर आर-10, सिद्धार्थ लेन, संजय गाँधी पुरम (इन्दिरा नगर).
   लेखनऊ, उ०प्र0-226016 का स्वामी है और प्रथम पक्ष द्वारा अपने उक्त मकान के भूतल का एक कमरा व किंचन दिनांक 01-04-2024 से 11 माह के लिए द्वितीय पक्ष को किराये पर दिया गया है।
- यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भवन के किराये के रूप में प्रतिमाह रूपये 2,600/-(दो हजार छ: सौ रूपये मात्र) अदा किये जायेंगे।
- यह कि द्वितीय पक्ष जक्त भवन का किराया प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख तक भुगतान कर दिया करेंगे किसी प्रकार की चूक नहीं होगी।
- 4 यह कि द्वितीय पक्ष एक माह पूर्व सूचना देकर जब चाहे मकान खाली कर सकता है तथा प्रथम पक्ष भी एक माह पूर्व नोटिस देकर मकान खाली करा सकता है जिसमें किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- यह कि उक्त किराये की धनराशि में बिजली बिल भी शामिल है।
- 6. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त किरायेदारी वाले हिस्से का रख रखाव ठीक प्रकार से रखेगा तथा बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के कोई तोड़फोड़ या निर्माण आदि नहीं करायेगा यदि वह ऐसा अस्ति श्रीति है। कुरता है उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
  - यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भवन का केवल आवासीय प्रयोग ही करेगा। द्वितीय पक्ष उक्त भवन कि किसी भी प्रकार से व्यवसायिक प्रयोग नहीं करेगा।

े वह कि हितीय पक्ष उक्त भवन में किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक एवं गैर कानूनी

—पेज ३ पर/-



- यह कि उक्त भवन में कोई शिकमी किरायेदार नहीं रखेगा तथा भवन जिस स्थिति में किराये पर दिया गया है उसे यथास्थिति में वापस देगा।
- 10. यह कि यह अनुबन्ध 11 माह के लिए है। यदि उमय पक्ष उक्त किरायेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों पक्षों की आपसी सहमित से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है।

लिहाजा यह किराया अनुबन्ध पत्र आज दिनांक को समक्ष गवाहान लिखवा दिया तथा पढ़ कर सुन समझकर अपने अपने हस्ताक्षर बनाये ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

लखनऊ

देवांक

ह0 प्रथम पक्ष /भवन स्वामी

गुवाहान

1) नाम: Arun Kumar Sharma

чап: В-15 Shivroyi Nagar Kamba, Chinhat Lko

2) नामः Rojush Kumar

чат: R-10 sidelharth Ny lene Sanyay gandhipurma LKO

नोट:- साक्ष्य के रूप में द्वितीय पक्ष अपने पते का प्रमाण व फोटो आई0 डीo का प्रमाण एवं नवीनतम फोटोग्राफ प्रथम पक्ष को देगा।

NATURE ATTESTED

R C VERMONAL INDIA

LUMAN NO 11/2000